प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला- जयपुर, थाना- प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर, वर्ष-2022 प्र0इ0रि0 सं. .....200/2022.....दिनांक.....21/5/2022.....

2. (I) अधिनियमः- धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित)अधिनियम 2018 व 120बी भा0दं0सं0

(II) अधिनियम ..... धारायें .....

(III) अधिनियम ..... धारायें .....

(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें ..... (अ)

3. रोजनामचा आम रपट संख्या .....430 समय .....4:00 P.M.....

(ब) अपराध घटने का दिन- शुक्रवार, दिनांक 20.05.2022 समय 9.33 पीएम

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ..... समय ..... पीएम

4. सूचना की किस्म :- लिखित /मौखिक- लिखित

5. घटनास्थल :- म0नं0 83, शिवम नगर, नियर एसकेआईटी कॉलेज, रामनगरिया, जयपुर।

(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः-बजानिब दक्षिण पश्चिम दिशा करीब 10 किमी

(ब) बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना .....जिला .....

6.(1) परिवादी /सूचनाकर्ता :-

(अ) नाम- श्री भरत राजपुरोहित

(ब) पिता/पति का नाम- श्री रघुनाथ सिंह,

(स) जन्म तिथी- उम्र- 43 वर्ष

(द) राष्ट्रीयता - भारतीय

(य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि

जारी होने की जगह .....

(र) व्यवसाय - प्राईवेट डाक्टर

(ल) पता- निवासी म0नं0 बी-1 पदमावती कॉलोनी, निर्वाण नगर, जयपुर .

6.(1) परिवादी /सूचनाकर्ता :-

(अ) नाम- श्री रविराय शर्मा हाल

(ब) पिता/पति का नाम- श्री रामजीलाल शर्मा,

(स) जन्म तिथी- उम्र- 31 वर्ष

(द) राष्ट्रीयता - भारतीय

(य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि

जारी होने की जगह .....

(र) व्यवसाय - सीए, एचसीजी हॉस्पीटल मानसरोवर, जयपुर

(ल) पता- निवासी म0नं0 56ए, महावीर कॉलोनी, करतारपुरा जयपुर .

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : -

1. श्री बृजभूषण शर्मा पुत्र श्री हरिशंकर शर्मा, जाति ब्राहमण, उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम महुवा खेड़ी, पुलिस थाना कंचनपुर, जिला धोलपुर हाल म0नं0 82, शिवम नगर, नियर एसकेआईटी कॉलेज, रामनगरिया, जयपुर हाल वित्तीय सलाहकार (एफए), सवाईमान सिंह अस्पताल, जयपुर,

2. श्री अधोक्षज जोशी पुत्र श्री पुरंजय शर्मा, जाति ब्राहमण, उम्र 49 वर्ष निवासी ए-18, लक्ष्मीनारायणपुरी, सुरजपोल हाल सह-आचार्य निश्चेतन विभाग, एसएमएस अस्पताल, जयपुर।

3. श्री प्रकाश शर्मा पुत्र श्री महावीर प्रसाद शर्मा, जाति ब्राहमण, उम्र 54 वर्ष निवासी वार्ड नं0 12, बस स्टेण्ड के पास श्रीमाधोपुर, जिला सीकर हाल फ्लेट नं0 205, बालाजी टॉवर-7, जगतपुरा जयपुर हाल सहायक लेखाधिकारी, आरएमआरएस, एसएमएस, जयपुर

4. श्री अजय शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा जाति बाह्राण उम्र 52 साल निवासी मकान 528 राममंदिर के सामने महावीर नगर टोक रोड जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक संबिदाकर्मी एसएमएस अस्पताल जयपुर

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)...

.....

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य- 15,60,000 रूपये लिप्त सम्पति

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

दिनांक 25-04-2022 को श्री डॉ0 भरत राजपुरोहित पुत्र श्री रघुनाथ सिंह नि. बी-1, पदमावती कॉलोनी-बी, निर्माण नगर, जयपुर हाल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, एचसीजी हॉस्पिटल, मानसरोवर, जयपुर होना बताया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। डॉ. भरत राजपुरोहित ने प्रार्थना पत्र स्वयं के हस्तलेख में लिखा होना तथा उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र का मजमून इस प्रकार है "सेवामें, श्रीमान् ADG साहब ACB Jaipur विषय:- SMS के भ्रष्ट अधिकारी/कर्मचारी को रिश्वत लेते पकडवाने बाबत। महोदयजी निवेदन है कि HCG हॉस्पिटल मानसरोवर में मैं COO. के पद पर कार्यरत हूं। HCG तथा SMS हॉस्पिटल में PPP मॉडल पर Radiation therpy की LINAC machine install है। जिसका Payment 31 march 2021 तक का हो चुका है लेकिन 1 April 2021 से आज तक का भुगतान बकाया है। जो करीब 3 Crore है। Agreement के अनुसार हर 15 दिन में भुगतान होना चाहिये तथा Ascrow Account के through ही सारा Payment होना तय था। एक दो बार पैसों की डिमांड भी करी गयी लेकिन हमने देने से मना कर दिया था, जिससे भुगतान में देरी हो रही है। SMS के RMRS office में जोशी जी (जो कि incharge हैं) तथा Accountant अजय शर्मा है। पहले बकाया राशि का 1 प्रतिशत की मांग करी गयी थी तथा FA बृजभूषण शर्मा द्वारा पैसे की मांग की जा रही है लेकिन हम पैसा देना नहीं चाह रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप उचित कार्यवाही करें तथा दोषियों को रंगे हाथो पकडें। एसडी- भवदीय Dr Bharat Rajpurohit Chief operating officers HCG Hospital Mansarovar jaipur. B1, Padmawati colony-B Nirwan Nagar Jaipur. Ph- 9309393098 24/2/22" परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर श्री बृजभुषण शर्मा वित्तीय सलाहकार से दिनांक 3-2-2022 व 9-3-2022 एवं डॉ. अधोक्षज जोशी से दिनांक 9-3-2022 व 23-3-2022, श्री प्रकाश शर्मा सहायक लेखाधिकारी से दिनांक 2-3-2022 व 9-3-2022 एवं श्री अजय शर्मा कनिष्ठ सहायक संविदा कर्मी से दिनांक 24-2-2022, 2-3-2022, 3-3-2022, 9-3-2022, 18-3-2022, 19-3-2022 व परिवादी द्वारा अपने स्तर पर की वाट्सअप कॉल की रिकार्डिग दिनांक 9-3-2022 व 20-5-2022 को रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तो कुल बिलो की राशि का 3 प्रतिशत कमीशन के रूप मे रिश्वती राशि की मांग करना पाया गया।

दिनांक 20-5-2022 को परिवादी उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आया व बताया कि मेरे अब तक कुल 5,20,58,752 रूपये के बिल पास हुए है जिसका 03 परसेन्ट के हिसाब से 15,61,762/- रूपये कमीशन के रूप मे रिश्वत बनती है जिसमें से 1.5 प्रतिशत श्री बृजभुषण शर्मा वित्तीय सलाहकार के 7,80,000/- रूपये एवं श्री अजय शर्मा, श्री प्रकाश शर्मा एवं डॉ. अधोक्षक के 1.5 प्रतिशत के हिसाब से करीब 7,80,000/- रूपये बनते है जो आज देना तय हुआ है।

दिनांक 20-5-2022 को परिवादी श्री भरत राजपुरोहित चीफ ऑपरेटिग ऑफिसर, एचसीजी होस्पीटल, मानसरोवर जयपुर निवासी म0नं0 बी-1 पदमावती कॉलोनी, निर्वाण नगर, जयपुर उपस्थित ब्यूरो कार्यालय है जिससे रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के क्रम में आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी श्री भरत राजपुरोहित ने अपने पास से दो-दो हजार रूपये के 50 नोट एवं पांच पांच सौ रूपये के 800 नोट कुल 5,00,000/-रूपये एवं दो नीले लिफाफे जिस पर HCG द स्पेसलिस्ट इन केन्सर केयर अंग्रेजी मे लिखा हुआ प्रस्तुत करते हुए बताया कि मेरे पास अभी पांच लाख रूपये की ही व्यवस्था हुई है। इनमे से 2,50,000/- रूपये श्री बृजभुषण शर्मा को देने है जो मेरे पास है तथा 2,50,000/-रूपये श्री अजय शर्मा देने है वह मेरे साथी श्री रविराय शर्मा को मैने दे दिए है। इस पर कार्यालय में रखे डमी नोटो को देने का निर्णय करते हुए परिवादी द्वारा प्रस्तुत पांच लाख रूपये में से दो-दो हजार रूपये के पचास नोट एवं 500-500 रूपये के 300 नोट कुल 2,50,000/- रूपये की भारतीय मुद्रा एवं 5,30,000/- रूपये के डमी नोट जिसमे दो-दो हजार रूपये जैसे दिखने

वाले डमी नोट 150 एवं पांच पांच सौ रूपये जैसे दिखने वाले डमी नोट 460 नोट जिन पर भारतीय मनोरंजन बैक लिखा है। उक्त भारतीय मुद्रा एवं डमी नोटो व लिफाफे पर श्री सत्येन्द्र कुमार हैड कानि0 69 से कार्यालय की अलमारी में रखी हुई फिनोल्फथलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर गवाहान की मौजूदगी में फिनोलफथलीन पाउडर एक अखबार पर डलवाकर उक्त भारतीय मुद्रा एवं डमी नोटो एवं लिफाफे पर फिनोलफथलीन पाउडर भलीभांति लगवाया जाकर रिश्वती राशि वाले लिफाफे को परिवादी श्री भरत पुरोहित द्वारा साथ लाया गया कपड़े का केरीबैग जिस पर अंग्रेजी मे हाईब्रीड स्पोर्टस व न्यू अराईवल मेन्स फुटवीयर लिखा हुआ है के अन्दर श्री सत्येन्द्र कुमार हैड कानि0 69 से रखवाए जाकर परिवादी को सुपुर्द किए गए। जिसकी फर्द पृथक से तैयार की गई।

सह-परिवादी श्री रविराय शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल शर्मा, उम्र 31 वर्ष, जाति ब्राहमण उम्र 31 वर्ष निवासी म0नं0 56ए, महावीर कॉलोनी, करतारपुरा जयपुर हाल सीए, एचसीजी हॉस्पीटल मानसरोवर, जयपुर जो परिवादी के साथ उपस्थित जिसने परिवादी से आरोपीगण की हुई वार्ता अनुसार कुल 780000/- रूपये दिए जाने है जिनमें से 2,50,000/- रूपये भारतीय मुद्रा जिसमें सभी नोट पांच पांच सौ रूपये के है तथा एक नीले रंग का लिफाफा जिस पर अंगेजी मे एचसीजी द स्पेसलिस्ट इन केन्सर केयर लिखा हुआ तथा एक कपड़े का केरी बैग जिस पर अंगेजी मे एफ-99 मैन्स वियर लिखा हुआ है प्रस्तुत किए है। इस पर कार्यालय में रखे डमी नोटो को देने का निर्णय करते हुए सह-परिवादी द्वारा प्रस्तुत 2,50,000/- रूपये जिनमें पांच पांच सौ रूपये के 500 नोट है। जिस पर 2,50,000/- रूपये की भारतीय मुद्रा एवं 5,30,000/- रूपये के डमी नोट जिसमे पांच पांच सौ रूपये के 1060 नोट जिन पर भारतीय मनोरंजन बैक लिखा है। उपरोक्त वर्णित नम्बरी नोटो एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिफाफे पर श्री रमेश चन्द्र शर्मा हैड कानि0 73 से कार्यालय की अलमारी में रखी हुई फिनोल्फथलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर गवाहान की मौजूदगी में फिनोलफथलीन पाउडर एक अखबार पर डलवाकर उक्त भारतीय मुद्रा एवं डमी नोटो एवं लिफाफे पर फिनोलफथलीन पाउडर भलीभांति लगवाया जाकर रिश्वती राशि वाले लिफाफे को सह-परिवादी श्री रविराय द्वारा साथ लाया गया कपड़े का केरीबैग जिस पर अंग्रेजी मे एफ-99 मैन्स वीयर लिखा हुआ है के अन्दर श्री रमेश चन्द्र शर्मा हैड कानि0 73 से रखवाए जाकर परिवादी को सुपुर्द किए गए। जिसकी फर्द पृथक से तैयार की गई।

समय करीब 6.45 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री राम सिंह सहायक उप निरीक्षक, श्री रामकल्याण मीना हैड कानि0 25, श्री आलोक कुमार कानि0 178, श्री वीरेन्द्र सिंह कानि0 451, श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 68, श्रीमती सुनिता महिला कानि0 43 मय स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी श्री भरत राजपुरोहित के आरोपी श्री बृजभुषण शर्मा वित्तीय सलाहकार के आवास हेतु ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर मय सरकारी वाहन सहित एवं श्री संजय कुमार पुलिस उप अधीक्षक मय श्री जहीर अहमद सेवानिवृत हैड कानि0 हाल संविदा कर्मी, श्री देवी सिंह हैड कानि0 85, श्री रमेश कुमार कानि0 406, श्री ओमप्रकाश कानि0 85, श्रीमती ललिता महिला कानि0 एवं स्वतंत्र गवाह एवं सह-परिवादी श्री रविराय शर्मा को आरोपी श्री अजय शर्मा के आवास हेतु मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर सहित सरकार व प्राईवेट वाहनो से एवं श्री नीरज भारद्वाज पुलिस निरीक्षक मय श्री सत्येन्द्र कुमार हैड कानि0 69, श्री रमेश चन्द्र शर्मा हैड कानि0 73 एवं श्री विक्रम सिंह कानि0 92 एवं महिला कानि0 के अन्य आरोपी को डिटेन करने हेतु प्राईवेट वाहनो से ब्यूरो कार्यालय से रवाना हुए।

मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी एवं गवाहान के ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर वित्तीय सलाहकार श्री बृजभुषण शर्मा के मकान के आस पास पहूंचकर ट्रेप जाल बिछाया गया।

समय करीब 09.33 पीएम पर परिवादी श्री भरत राजपुरोहित चीफ ऑपरेटिग ऑफिसर, एचसीजी होस्पीटल, मानसरोवर जयपुर निवासी म0नं0 बी-1 पदमावती कॉलोनी, निर्वाण नगर, जयपुर ने अपने मोबाईल से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन पर मिस कॉल किया। परिवादी का ईशारा पाते ही मन् पुलिस निरीक्षक ने आस पास खड़े हुए स्वतंत्र गवाह एवं ब्यूरो स्टॉफ को ईशारा पास करते हुए मकान नं0 83 के बाहर पहूंचा जिसके मेनगेट पर परिवादी खड़ा हुआ मिला जिसके पास एक व्यक्ति ओर खड़ा हुआ था। परिवादी से पूर्व में सुपुर्द किया गया विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद करके सुरक्षित रखा गया। परिवादी ने बताया कि यह मेरे पास खड़े है जो श्री बृजभूषण शर्मा एफए साहब है जिन्होने मेरे से रिश्वत की राशि अपने ड्राईग रूम मे लेकर ड्राईग मे ही अपने सामने रखे साफे के कोने पर रख दी थी उसके बाद मेने आपको

मिस कॉल कर दिया था यह मुझे छोड़ने गेट तक आए थे। इस मेनगेट पर खड़े व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना एवं स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ का परिचय देते हुए इनका नाम पता पूछा तो परिवादी के पास खड़े हुए व्यक्ति ने अपना नाम बृजभूषण शर्मा पुत्र श्री हरिशंकर शर्मा, जाति ब्राहमण, उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम महुवा खेड़ी, पुलिस थाना कंचनपुर, जिला धोलपुर हाल म0नं0 82, शिवम नगर, नियर एसकेआईटी कॉलेज, रामनगरिया, जयपुर हाल वित्तीय सलाहकार (एफए), सवाईमान सिंह अस्पताल, जयपुर होना बताया। परिवादी डॉ. भरत राजपुरोहित से ली गई रिश्वती राशि 7,80,000/- रूपये बाबत पूछा तो श्री बृजभूषण शर्मा एफए ने बताया कि यह मेरे दोस्त है इन्होने मेरे को अपने निजी काम के लिए गिफ्ट दी है। मुझे पैसो की जरूरत थी इसलिए मैने लिए है। इन्होने जो लिफाफा दिया है उसमे कितने पैसे मुझे पता नही है। इस पर डॉ. भरत राजपुरोहित ने उनकी बात का खण्डन करते हुए बताया कि यह झूंठ बोल रहे है हमारे एचसीजी हॉस्पीटल मानसरोवर जयपुर ने एसएमएस होस्पीटल मे पीपीपी मॉडल पर रेडिएसन थेरेपी की मशीन लगा रखी है जिसका करीब 5 करोड़ रूपये का भुगतान एसएमएस के द्वारा हमे किया जाना बाकी था जिसकी ऐवज मे इन्होने तथा अन्य संबंधित अधिकारियो ने भुगतान की ऐवज मे 3 प्रतिशत के हिसाब से करीब 15 लाख से अधिक कमीशन के रूप मे रिश्वत की मांग की थी जिसमे से 1. 5 प्रतिशत के हिसाब से 7,80,000/- रूपये श्री बृजभुषण जी को रिश्वती राशि दी है तथा मैने इनको कहा था कि 1.5 प्रतिशत के हिसाब से अन्य अधिकारियो के कमीशन के रूपये अभी जाते समय अजय जी शर्मा को दे जाउंगा। इस पर श्री बृजभूषण शर्मा एफए ने बताया कि यह सही है कि डॉ. भरत राजपुरोहित जी के एचसीजी हॉस्पीटल की एसएमएस मे केन्सर जांच की मशीन लगी हुई है जिनके बिलो का भुगतान होना बाकी था यह रूटीन की प्रक्रिया है मुझे पता नही कि इनका कितना भुगतान बाकी था अभी दो दिन पहले ही भुगतान की राशि सेक्शन हुई थी तथा कल इनको भुगतान हुआ है। इस पर श्री बृजभूषण शर्मा एफए ने कहा कि यह मेरे अच्छे मित्र है इन्होने यह काम क्यो किया मेरी समझ मे नही आ रहा है। श्री बृजभूषण शर्मा एफए से गिफ्ट मे परिवादी द्वारा दी गई राशि के बारे मे पुनः पूछा तो श्री बृजभूषण ने बताया कि मुझे पैसो की जरूरत थी यह अपनी मर्जी से ही यह राशि मुझे गिफ्ट मे देकर गए है। इस पर श्री बृजभूषण शर्मा एफए एवं परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान को साथ लेते हुए उनके ड्राईग रूम मे प्रवेश हुए तो गेट के सामने रखे साफे पर एक लिफाफा रखा हुआ था जिसकी तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि मै गेट के पास वाले सोफे पर बैठा था तथा सामने के सोफे पर जहां पर रिश्वती राशि का लिफाफा रखा है इस सोफे पर श्री बृजभुषण एफए साहब बैठे थे मेने अपने काम से संबंधित बात करने के बाद चाय पी थी उसके बाद मैने इनकी रिश्वत मांग के अनुसार 7,80,000/- रूपये का लिफाफा जिसमे 2,50,000/- रूपये भारतीय मुद्रा एवं शेष डमी नोट रखे हुए थे यह लिफाफा इनको दिया था तब इन्होने अपने हाथ मे लेकर रिश्वती राशि का लिफाफा अपने पास सोफे पर रख दिया था तथा जब मै बाहर जाने लगा तो मेरे को बाहर तक छोड़ने के लिए मेरे साथ आ गए थे। जिस पर श्री बृजभुषण शर्मा एफए ने पूछने पर बताया कि हा यह सही है कि यह लिफाफा डॉ. भरत राजपुरोहित ने ही मुझे दिया था।

तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स से दो साफ कांच के गिलास निकलवाकर कर मकान के अन्दर से प्लास्टिक की बोतल मे साफ पानी मंगवाया जाकर गिलासो को पुनः साबुन पानी से साफ करवाया जाकर दोनो गिलासो में प्लास्टिक बोतल से साफ पानी डालकर उसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार किया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। तैयार शुदा एक कांच के गिलास के घोल मे श्री बृजभुषण शर्मा एफए के बांये हाथ की अंगूलिया व अंगूठे को बारी-बारी से डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे समस्त हाजरनी ने गदमैला रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर सील चीट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल-1, एल-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसी प्रक्रियानुसार दुसरे कांच के गिलास के घोल मे श्री बृजभूषण शर्मा एफए के दाहिने हाथ की अंगूलियो व अंगूठे के बारी-बारी से डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे समस्त हाजरीन ने गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर सील चीट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर-1, आर-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात् ड्राईग रूम मे सोफे पर रखा नीले रंग का लिफाफा जिस पर अंग्रेजी में एचसीजी द स्पेसलिस्ट इन केन्सर केयर लिखा हुआ है जिसको स्वतंत्र गवाहान से उठवाया जाकर चैक किया गया तो उसमे भारतीय मुद्रा एवं डमी नोटो के बण्डल रखे हुए मिले है जिनको स्वतंत्र गवाह से चैक करवाया गया तो 2,50,000/- रूपये भारतीय मुद्रा जिसमें 50 नोट दो-दो हजार रूपये के तथा 300 नोट पांच पांच सौ रूपये के तथा 5,30,000/- रूपये के डमी नोट भारतीय मनोरंजन बैक लिखे हुए मिले है। जो हूबहू पाए गए। उक्त भारतीय मुद्रा के 2,50,000/- रूपये व नीले रंग का लिफाफा जिस पर अंगेजी में एचसीजी द स्पेसलिस्ट इन केन्सर केयर लिखा हुआ तथा सफेद रंग के कपड़े का केरी बैग जिस पर अंग्रेजी मे हाईब्रीड स्पोर्टस व न्यू अराईवल मेन्स फुटवीयर लिखा हुआ है को एक कागज के साथ सिल कर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा 5,30,000/- रूपये के डमी नोट जिन पर भारतीय मनोरंजन बैक लिखा हुआ है को भी एक सफेद कागज के साथ सिल कर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स से एक साफ कांच का गिलास निकलवाकर उसमें ड्राईग रूम मे रखी प्लास्टिक की पानी की बोतल उक्त गिलास को पुनः धुलवाकर उसमें बोतल से साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। ट्रेप बॉक्स से एक कपड़े की चिंदी लेकर गिलास के घोल में बारी-बारी से डुबोकर सोफा जहां पर रिश्वती राशि का लिफाफा रखा हुआ था उस स्थान पर बारी-बारी से रगड़कर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे समस्त हाजरीन ने गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एस-1, एस-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा कपड़े की चिंदी को सुखाकर चिंदी पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर चिंदी को एक कपड़े की थैली मे रखकर सील चिट मोहर कर कपड़े की थैली पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क-सी अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

समय करीब 11.45 पीएम पर श्री नीरज भारद्वाज पुलिस निरीक्षक, श्री सत्येन्द्र कुमार हैड कानि0 69, श्री रमेश चन्द्र हैड कानि0 73 एवं श्री विक्रम सिंह कानि0 92 मय श्री प्रकाश शर्मा सहायक लेखाधिकारी आरएमआरएस, एसएमएस, जयपुर के साथ ट्रेप कार्यवाही के दौरान मौके पर उपस्थित आए। श्री प्रकाश शर्मा सहायक लेखाधिकारी को मन् पुलिस निरीक्षक ने उनका पूरा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री महावीर प्रसाद शर्मा, जाति ब्राहमण, उम्र 54 वर्ष निवासी वार्ड नं0 12, बस स्टेण्ड के पास श्रीमाधोपुर, जिला सीकर हाल फ्लेट नं0 205, बालाजी टॉवर-7, जगतपुरा जयपुर हाल सहायक लेखाधिकारी, आरएमआरएस, एसएमएस, जयपुर मो0नं0 8696944700 होना बताया तथा कहा कि वर्तमान मे मै मकान नं0 5/75, अग्रवाल फार्म एसएफएस मानसरोवर जयपुर मे किराये से रहता हूं। श्री प्रकाश शर्मा सहायक लेखाधिकारी से परिवादी डॉ. भरत राजपुरोहित के बारे मे पूछा तो श्री प्रकाश शर्मा ने बताया कि मै इनको शक्ल से जानता हूं संभवतया यह मेरे से एक बार एसएमएस मे लीनियर मशीन लगी हुई है उसके भुगतान के क्रम मे मिले थे मैने इनसे किसी भी प्रकार की रिश्वत की मांग नही की है। इस पर परिवादी डॉ. भरत राजपुरोहित ने श्री प्रकाश शर्मा सहायक लेखाधिकारी की बात का खण्डन करते बताया कि मै हमारे एचसीजी अस्पताल के द्वारा एसएमएस मे पीपीपी मॉडल मे रेडिएशन थेरेपी की मशीन लगी हुई थी जिसका भुगतान आरएमआरएस, एसएमएस जयपुर से होना था इस क्रम मे मै श्री बृजभुषण शर्मा एफए से मिला था जिन्होने मेरे को श्री प्रकाश शर्मा सहायक लेखाधिकारी के मोबाईल फोन नम्बर दिए थे तथा कहा था कि भुगतान का 1.5 प्रतिशत मेरे लिए तथा 1.5 प्रतिशत प्रकाश जी, अजय जी एवं डॉ. जोशी जी के लिए कमीशन देना है इस संबंध मे श्री अजय शर्मा तथा जोशी जी एवं प्रकाश को दी जाने वाले कमीशन की राशि के लिए प्रकाश जी से बात कर लेना इस पर मै एफए साहब के कहेनुसार श्री प्रकाश शर्मा सहायक लेखाधिकारी से मिला था तथा इनको मैने कहा था कि एफए साहब ने भुगतान का 1.5 प्रतिशत कमीशन स्वयं के लिए तथा 1.5 प्रतिशत आपके लिए एवं अजय शर्मा एवं डॉ. जोशी को देने के लिए कहा है। इस पर इन्होने मेरे से कहा था कि आपकी किससे बात हुइ है तब मैने कहा था कि कमीशन की सारी बात एफए साहब से हुई है इस पर इन्होने सहमति जताते हुए कहा था कि आपको पेमेन्ट मार्च मे होली

से पहले कर दिया जावेगा। श्री प्रकाश शर्मा से परिवादी की उक्त बात के बारे मे पुनः पूछताछ की गई तो बताया कि मेरी डॉ. भरत राजपुरोहित से कमीशन की बात नही हुई थी यह सही है कि इनके अस्पताल की एसएमएस मे लगी हुई मशीन का करोड़ो का भुगतान बाकी है मै भुगतान संबंधी पत्रावली रूटीन मे निकालता हूं इनके भुगतान की फाईल मैने इस महीने निकाल दी थी। परिवादी डा. भरत राजपुरोहित एवं श्री प्रकाश शर्मा सहायक लेखाधिकारी की दिनांक 2-3-2022 एवं 9-3-2022 को वार्ता हुई थी जिसमें परिवादी डॉ. भरत राजपुरोहित ने अपनी भुगतान संबंधी पत्रावली की बात करते हुए श्री प्रकाश शर्मा को कहा कि फरवरी महिने के भी बिल मैने कल डाल दिए थे, वो है सर 55 लाख के आस पास के अब हो गया सवा तीन दोनो मिलाकर हो गए सर सवा चार करोड़ पेमेन्ट ड्यू है अभी सर अजय जी से मिला था अजय से कॉन्टेक्ट करके एफए साहब से मिला था, बात हुई अजय जी की आपसे भी बात हो गई होगी, फाईनली 3 परसेन्ट टोटल रहा ओर 1.5 परसेन्ट आरएमआरएस और 1.5 परसेन्ट आपके डिपार्टमेन्ट मान लो, एफए साहब मान लो, जोशी जी हो, एमएस सर जो भी उनकी तरफ से अभी बात हुई 1.5 आपको दू या अजय जी को दू उसका मुझे बताओ तो उसमे अभी एफए साहब ने कहा था कि एसएमएस का पेमेन्ट हुआ था ना वो इसमे इनक्लूड कर लेना तो वो भी उसके अमाउन्ट के साथ एक दो दिन मे कर देगे, फरवरी के बिल मार्च के पन्द्रह, बीस दिन या ढेड़ महिने मे आ जाएगे, मंथली 60 लाख के हिसाब से मेरे को कितने देने, इसके अतिरिक्त परिवादी ने सवा चार करोड़ के भुगतान का 3 परसेन्ट के हिसाब से श्री प्रकाश को तेरह सवा तेरह लाख रूपये कमीशन देने की बात बताई तथा कहा कि मुझे तो देना है आपको दे या उनको अलग देना है या फिर पेमेन्ट आने के बाद देना है इस प्रकार श्री प्रकाश शर्मा सहायक लेखाधिकारी को यह पूर्ण रूप से ज्ञान था कि परिवादी के भुगतान के क्रम मे श्री बृजभुषण शर्मा एफए व अन्य अधिकारियो तथा स्वयं प्रकाश के लिए रिश्वत देने के लिए कहा है जिस पर श्री प्रकाश शर्मा सहायक लेखाधिकारी ने भी अपनी सहमति मौके पर जताई है। इस प्रकार श्री प्रकाश शर्मा सहायक लेखाधिकारी द्वारा परिवादी के भुगतान हेतु रिश्वत प्राप्त करने मे सहयोग करना पाया गया है।

समय करीब 1 एएम पर श्री संजय कुमार पुलिस उप अधीक्षक मय श्री देवी सिंह हैड कानि0 98, श्री जहीर अहमद सेवानिवृत हैड कानि0 हाल संविदा कर्मी, श्री रमेश कुमार कानि. श्री ओमप्रकाश कानि0 85, श्रीमति ललिता म. कानि. मय डिटेनशुदा श्री अजय शर्मा व दोनों स्वतंत्र गवाहान के मौके पर उपस्थित आ चुके है। श्री संजय कुमार पुलिस उप अधीक्षक ने बताया कि निर्देशानुसार समय 07.25 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय से मय जाप्ता, स्वतंत्र गवाहान व सहपरिवादी श्री रवि शर्मा के मय आवश्यक ट्रेप सामग्री के सरकारी वाहन तथा निजी वाहन से रवाना होकर समय करीब 08.00 पीएम पर संदिग्ध अधिकारी श्री अजय शर्मा के मकान के पास पहूंचकर मुकीम हुये थे। समय करीब 09.12 पीएम पर निर्देशानुसार सहपरिवादी रवि शर्मा को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर संदिग्ध अधिकारी अजय शर्मा के मकान पर रिश्वती राशि लेनदेन के लिये रवाना किया था। परिवादी के पीछे-पीछे मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान तथा ब्यूरो स्टाफ के अपनी पहचान छुपाते हुऐ संदिग्ध अधिकारी के मकान के आसपास परिवादी के निर्धारित ईशारे के इंतजार में मुकीम हुये थे। समय करीब 09.26 पीएम पर परिवादी बिना ईशारा किये ही तथा रिश्वती राशि का बैग अपने हाथ में लेकर आता हुआ दिखाई दिया, परिवादी ने जरिये वाट्सप श्री रमेश कुमार कानि. को बताया कि श्री अजय शर्मा ने यहां पर पैसे लेने से मना किया है तथा किसी अन्य स्थान पर रिश्वती राशि लेने के लिये कहा है। सहपरिवादी के पीछे-पीछे ही श्री अजय शर्मा अपने मकान से बाहर निकलकर सहपरिवादी के निजी वाहन में आकर बैठ गया तथा सहपरिवादी रवि शर्मा तथा अजय शर्मा कार से पुलिस उपायुक्त (पूर्व) के कार्यालय की तरफ जाने लगे, इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने ब्यूरो टीम को अपने साथ लेते हुये सरकारी वाहन से सहपरिवादी तथा अजय शमा के पीछे-पीछे अपनी पहचान छुपाते हुये रवाना हुये। सहपरिवादी तथा अजय शर्मा ने अपने वाहन को पुलिस उपायुक्त (पूर्व) के सामने की तरफ रोड पर खडा किया तथा श्री अजय शर्मा कार से बाहर उतरकर खडा होकर ईधर-उधर देखकर सहपरिवादी रवि शर्मा से बात करत हुआ दिखाई देने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय ब्यूरो टीम के अपने सरकारी वाहन को रोड के साईड में खडा कर अपनी पहचान छुपाते हुऐ परिवादी के निर्धारित ईशारे के इंतजार में मुकीम हुये। कुछ समय पश्चात श्री अजय शर्मा बिना रिश्वत राशि लिये ही जाने लगा जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने वाट्सप पर सहपरिवादी रवि शर्मा से संपर्क किया तो सहपरिवादी ने बताया कि अजय शर्मा ने रिश्वती राशि अभी नहीं ली है तथा कल लेने के लिये कहा है तथा अपने घर

जा रहा है। तत्पश्चात् निर्देशानुसार श्री अजय शर्मा को रोड पर पैदल जाते हुये को हमराही जाप्ता की सहायता से समय करीब 09.40 पीएम पर डिटेन किया। सहपरिवादी रवि शर्मा से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखे। तत्पश्चात् उक्त व्यक्ति को अपना परिचय देते हुऐ उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अजय शर्मा पुत्र स्व. श्री सीताराम शर्मा नि. मकान नं. 528, राममंदिर के सामने टोंकरोड, जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक (संविदाकर्मी) होना बताया। तत्पश्चात् मौके पर उपस्थित सहपरिवादी से पूछा तो सहपरिवादी ने बताया यह व्यक्ति श्री अजय शर्मा है जिसको मै डॉ भरत जी के बताये अनुसार रिश्वती राशि सात लाख अस्सी हजार रूपये इसकी मांग के अनुसार देने इनके घर पर गया था। जहां पर मैंने जरिये वाट्सप कॉल अजय शर्मा से संपर्क किया तो अजय शर्मा ने बताया कि वह घर पर ही हूं, इस पर रिश्वती राशि की थैली के साथ मकान के अंदर गया जहां पर श्री अजय शर्मा मौजूद मिले। श्री अजय शर्मा नीबूं पानी लेकर आया और मुझसे कहा कि मै तो पैसे वैसे नही लेता हुं तब मैंने मैने रिश्वती राशि सात लाख अस्सी हजार रू थैली से रूपये निकाल देने लगा तो उसने कहा कि आप अपने रूपये थैली में रखो किसी को देने है इसके बाद अजय शर्मा घर से निकल कर वह मेरे गाडी में आकर बैठ गया गाडी में चलते चलते दो जगह फोन लगाया और बोला कि तुम दोनों यहां नहीं हो क्या इसके बाद वह पुलिस चौकी गोपालपुरा के पास गाडी को रूकवाकर गाडी से उतर गया तथा रिश्वती राशि नहीं ली और गाडी से उतरते समय कहा कि भरतजी फोन नहीं उठा रहे है कल उन्ही से लेगें। चूंकि श्री अजय शर्मा ने रिश्वत राशि नहीं ली थी तथा ना ही हाथ लगाया था। इस पर निर्देशानुसार श्री रमेश कुमार कानि. तथा श्री ओमप्रकाश कानि. को अजय शर्मा के मकान की निगरानी हेतू रवाना किया तथा उपअधीक्षक पुलिस मय ब्यूरो स्टाफ मय गवाहान के सर्च टीम आने तक वहीं मुकीम रहा था। श्री ओमप्रकाश कानि. ने जरिये मोबाईल बताया कि आरोपी घर से दो तीन व्यक्ति दो तीन थैले लेकर एक कार में रख रहे है, इस पर उक्त व्यक्तियों को रोकने की हिदायत दी, तथा डिटेनशुदा श्री अजय शर्मा को देवीसिंह है.कानि., जहीर अहमद व गवाह के सहपरिवादी के साथ मय रिश्वती राशि के सुरक्षा की दृष्टि से मुख्यालय रवाना किया तथा मै सरकारी वाहन के मय स्टाफ मौके पर रवाना हुआ। अजय शर्मा के मकान के पास सर्च टीम के श्री रघुवर शरण पु.नि. मय टीम तथा श्री रमेश कुमार कानि. व श्री ओमप्रकाश कानि. मौजूद मिले थे, जिनको खानातलाशी हेतु इमदाद की तथा निर्देशानुसार श्री देवीसिंह है.कानि. व श्री जहीर है कानि. को श्री अजय शर्मा को ट्रैप स्थल पर पहुचने के निर्देश देकर मय हमराहीयान के अजय शर्मा के मकान से रवाना होकर ट्रैप कार्यवाही स्थल पर पहुंचा हूं जहां पर श्री देवीसिंह है. कानि. मय स्वतंत्र गवाह पवन मय श्री अजय शर्मा के उपस्थित है।

तत्पश्चात मन टीएलओ द्वारा उक्त श्री अजय शर्मा से श्री भरतराज पुरोहित से उनके कार्य के सम्बन्ध में रिश्वत की मांग करने के सम्बन्ध में तथा रिश्वति राशि को कल सुबह प्राप्त करने के बारे में कहने के बारे पूछा तो श्री अजय शर्मा ने श्री संजय कुमार पुलिस उपअधीक्षक को पूर्व में बताई गई बात का दोहरान किया इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने श्री अजय शर्मा से पूछा कि दिनांक 19.05.2022 को डाक्टर भरतराजपुरोहित व रविराज शर्मा आपसे शैल्बी अस्पताल मिले थे या नहीं तब अजय शर्मा ने डाक्टर भरतराज पुरोहित व श्री रविराय का मिलना बताया तथा अजय शर्मा से यह भी पूछा गया कि डाक्टर भरतराज पुरोहित व रविराज शर्मा को उनके बिल की राशि के रूप में दिनांक 29.12.2020 की राशि 12947760/-रूपये दिनांक 30.12.2021 की राशि 10862235/- रूपये दिनांक 20.05.2022 की राशि 28248757/- रूपये कुल राशि 52058752 रूपये के तीन प्रतिशत कमीशन राशि 15,61,762 रूपये आपने परिवादी श्री भरतराज को बतायी है तथा परिवादी श्री भरतराज पुरोहित द्वारा मोबाईल में इसकी फोटो खींची गयी है जिस पर श्री अजय शर्मा ने बताया कि मैने तो श्री भरतराज पुरोहित के बिलों पर रा टीडीएस कटौती की जानकारी चाहने उक्त हिसाब तैयार किया था जिसकी पर्ची बाद में श्री भरतराज पुरोहित ने फाड दी थी । तत्पश्चात परिवादी श्री भरत राजपुरोहित द्वारा दिखाई उक्त हिसाब की पर्ची में अंकित 7,80,881 एएस व 7,80,881 बीएस के बारे में पूछा तो श्री अजय शर्मा ने अनभिज्ञता जाहिर की। रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी डॉ. भरत राजपुरोहित तथा आरोपी श्री अजय शर्मा कनिष्ठ सहायक संविदा कर्मी की दिनांक 24-2-2022, 2-3-2022, 3-3-2022, 9-3-2022, 18-3-2022, 19-3-2022 एवं रिश्वत लेन देन दिनांक 20-3-2022 को आमने सामने तथा दिनांक 9-3-2022 एवं 20-5-2022 को मोबाईल फोन पर वाट्सअप वार्ता हुई है जिसमें आरोपी श्री अजय शर्मा द्वारा परिवादी के पैण्डिग भुगतान करने की ऐवज मे स्वयं के लिए तथा श्री प्रकाश शर्मा सहायक लेखाधिकारी, डॉ.

अधोक्षज जोशी के लिए भुगतान राशि का 1.5 प्रतिशत कमीशन के रूप मे रिश्वती राशि मांगना रिकार्ड वार्ताओ से प्रमाणित है। रिकार्ड वार्ताओ मे डॉ. अधोक्षज जोशी द्वारा भी रिश्वत राशि के क्रम मे परिवादी को अजय शर्मा को बात करने को कहा है इससे यह प्रमाणित है कि श्री अजय शर्मा द्वारा उक्त अधिकारियो की रिश्वती राशि प्राप्त कर उक्त अधिकारियो तक पहूंचाता है। इस प्रकार श्री अजय शर्मा संविदा कर्मी ने उक्त अधिकारियो से मिली भगत कर रिश्वत प्राप्त करने के षड़यंत्र मे सम्मिलित है।

चूंकि आरोपी श्री अजय शर्मा द्वारा रिश्वती राशि परिवादी के साथ श्री रविराय से प्राप्त नही है। अतः उक्त रिश्वती राशि वजह सबूत होने के कारण रिश्वती राशि का नीले रंग का लिफाफा जिस पर अंगेजी में अंगेजी में एचसीजी द स्पेसलिस्ट इन केन्सर केयर लिखा हुआ है जो एक कपड़े के केरी बैग जिस पर एफ-99 मैन्स वीयर लिखा हुआ में रखा हुए को सह-परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द की गई। जिनको स्वतंत्र गवाह श्री लोकेश कुमार एवं पवन कुमार से उक्त लिफाफे को खुलवाकर चैक करवाया गया तो कार्यालय में बनाई गई फर्द पेशकशी मे अंकित नम्बरी नोट 250000/- रूपये भारतीय मुद्रा जिसमें सभी नोट पांच पांच सौ रूपये के कुल 500 नोट तथा 1060 नोट डमी नोट जिन पर भारतीय मनोरंजन बैक लिखा हुआ होना हूबहू पाए गए। उक्त भारतीय मुद्रा के 2,50,000/- रूपये व नीले रंग का लिफाफा जिस पर अंगेजी में एचसीजी द स्पेसलिस्ट इन केन्सर केयर लिखा हुआ तथा सफेद रंग के कपड़े का केरी बैग जिस पर अंग्रेजी मे एफ-99 मैन्स वीयर लिखा हुआ है को एक कागज के साथ सिल कर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा 5,30,000/- रूपये के डमी नोट जिन पर भारतीय मनोरंजन बैक लिखा हुआ है को भी एक सफेद कागज के साथ सिल कर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

दर्ज रहे कि उक्त ट्रेप कार्यवाही मे डॉ. अधोक्षज जोशी द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान रिश्वत राशि के क्रम मे पूछताछ की जानी थी जिनकी गोपनीय जानकारी प्राप्त की जाकर उच्चाधिकारियो के निर्देशानुसार श्री चित्रगुप्त महावर पुलिस उप अधीक्षक, भ्र0नि0ब्यूरो, एसआईडब्लू, जयपुर द्वारा डिटेन किया जाने की सूचना दी है जिस पर श्री नीरज भारद्वाज पुलिस निरीक्षक एवं श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 68, श्री विक्रम सिंह कानि0 92 को तलबी हेतु सरकारी वाहन से भेजा गया था जिन्होने समय करीब 2.15 एएम पर डॉ. अधोक्षक जोशी को लाकर पेश किया जिनको मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना एवं स्वतंत्र गवाह एवं ब्यूरो स्टॉफ का परिचय देकर इनका नाम पता पूछा तो इन्होने अपना नाम अधोक्षज जोशी पुत्र श्री पुरंजय शर्मा, जाति ब्राहमण, उम्र 49 वर्ष निवासी ए-18, लक्ष्मीनारायणपुरी, सुरजपोल हाल सह-आचार्य निश्चेतन विभाग, एसएमएस अस्पताल, जयपुर मो0नं0 9414373226 होना बताया। डॉ. अधोक्षज जोशी से परिवादी डॉ. भरत राजपुरोहित के बारे मे पूछा तो बताया कि मै इनको जानता हूं इनका एसएमएस जयपुर में लिनियर मशीन जो रेडिएसन थैरेपी के लिए लगाई गई है उसके भुगतान के क्रम मे यह मेरे से मिले थे तो मैने इनको कहा था कि भुगतान मे आपके जो परेशानी आ रही है वो दिखाकर जल्दी ही भुगतान करते है इसके बाद संभवतया यह एक बार ओर मेरे से मिले थे तब भी मैने इनसे इनके भुगतान की ऐवज मे कोई कमीशन या रिश्वती राशि की मांग नही की थी। इस पर परिवादी डॉ. भरत राजपुरोहित ने इनकी बात का खण्डन करते हुए कहा कि मै डॉ. अधोक्षज जोशी से मिला था तब इन्होने कहा था कि भुगतान के क्रम मे एम.एस. साहब से मिल लो तब मैने इनसे कहा था कि मै भुगतान के क्रम मे एम.एस. से, प्रकाश जी तथा बृजभुषण एवं अजय जी से भी मिल लिया हूं उनसे बात हो गई है वह टोटल भुगतान का तीन परसेन्ट मांग रहे है जिसमे 1.5 प्रतिशत तो आरएमआरएस वालो का तथा 1.5 प्रतिशत एफए साहब का देना है मैने इनको कहा था कि अजय कहता है मेरे को दे दो ओर प्रकाश कहता है मेरे को दे दो तो मै किसको दू तब इन्होने कहा था कि अजय से कोर्डिनेट कर लो तथा आप अजय से बात कर लेना। इस पर डॉ. अधोक्षज जोशी से उक्त वार्ता के क्रम मे पुनः पूछताछ की गई तो डॉ. अधोक्षज जोशी ने बताया कि मेरा उक्त बात कहने का आशय मेरे लिए रिश्वत की राशि अजय को देने से नही था मैने तो अजय सबसे पुराना कर्मचारी होने के कारण वो इस मामले मे समझता था इसलिए अजय से मिलने के लिए कहा था। परिवादी डॉ. भरत राजपुरोहित ने कहा कि यह झूंठ बोल रहे है 1.5 परसेन्ट रिश्वती राशि मे इनका भी हिस्सा होता है तथा अजय सबकी रिश्वती राशि प्राप्त करके इनको देता है। डॉ. अधोक्षज

जोशी ने बताया कि मै पूर्व मे आरएमआरएस मे एम.ओ.आई.सी. के पद पर कार्य कर रहा था भुगतान संबंधी पत्रावली पर मेरी टिप्पणी करके एफए साहब को भुगतान हेतु पत्रावली प्रेषित करता था। एफए साहब अपनी टिप्पणी करने के पश्चात् भुगतान हेतु एम.एस. साहब को पत्रावली भेजते थे एमएस सहाब के अनुमोदन के पश्चात् संबंधित फर्म को भुगतान स्वीकृति का आदेश होता था। परिवादी डॉ. भरत राजपुरोहित तथा डॉ. अधोक्षज जोशी के मध्य दिनांक 9-3-2022 एवं 23-3-2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान रिकार्ड वार्ता से यह प्रमाणित पाया गया है कि परिवादी की फर्म को भुगतान करने की ऐवज मे परिवादी से कमीशन के रूप मे रिश्वती राशि प्राप्त करने हेतु परिवादी को श्री अजय से बात करने के लिए कहा है जब डॉ. भरत राजपुरोहित रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान जब अजय से मिलता है तो अजय द्वारा उक्त आरोपियो के लिए रिश्वत की मांग करना तथा रिश्वती राशि लेने के लिए परिवादी को अपने निवास पर बुलाया है इस प्रकार डॉ. अधोक्षज जोशी के परिवादी के पैण्डिग भुगतान की ऐवज मे रिश्वत राशि श्री अजय शर्मा के मार्फत मांग करना प्रमाणित पाया गया है।

विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डरो को सरसरी तोर पर सुना गया तो रिश्वत लेन देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई है जिनकी नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट व सीडी तैयार की गई।

अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री बृजभूषण शर्मा पुत्र श्री हरिशंकर शर्मा, जाति ब्राहमण, उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम महुवा खेड़ी, पुलिस थाना कंचनपुर, जिला धोलपुर हाल म0नं0 82, शिवम नगर, नियर एसकेआईटी कॉलेज, रामनगरिया, जयपुर हाल वित्तीय सलाहकार (एफए), सवाईमान सिंह अस्पताल, जयपुर, अधोक्षज जोशी पुत्र श्री पुरंजय शर्मा, जाति ब्राहमण, उम्र 49 वर्ष निवासी ए-18, लक्ष्मीनारायणपुरी, सुरजपोल हाल सह-आचार्य निश्चेतन विभाग, एसएमएस अस्पताल, जयपुर मो0नं0 9414373226, प्रकाश शर्मा पुत्र श्री महावीर प्रसाद शर्मा, जाति ब्राहमण, उम्र 54 वर्ष निवासी वार्ड नं0 12, बस स्टेण्ड के पास श्रीमाधोपुर, जिला सीकर हाल फ्लेट नं0 205, बालाजी टॉवर-7, जगतपुरा जयपुर हाल सहायक लेखाधिकारी, आरएमआरएस, एसएमएस, जयपुर मो0नं0 8696944700 एवं श्री अजय शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा जाति बाह्राण उम्र 52 साल निवासी मकान 528 राममदिर के सामने महावीर नगर टोक रोड जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक संबिदाकर्मी एसएमएस अस्पताल जयपुर ने आपस मे मिली भगत करके परिवादी डॉ. भरत राजपुरोहित के एचसीजी केन्सर सेन्टर के द्वारा एसएमएस जयपुर मे पीपीपी मॉडल पर लगाई गई लिनियर मशीन रेडिएसन थैरेपी के बिल करीब कुल 5,20,58,752 रूपये के पास करने की ऐवज मे 3 प्रतिशत कमीशन के रूप मे 15,61,762/- रिश्वती राशि की मांग करना जिसमे से 1.5 प्रतिशत कमीशन के रूप मे रिश्वती राशि 7,80,000/- रूपये श्री बृजभुषण शर्मा वित्तीय सलाहकार के एवं 1.5 प्रतिशत कमीशान के रूप मे रिश्वती राशि 7,80,000/- रूपये डॉ. अधोक्षज जोशी, श्री प्रकाश शर्मा सहायक लेखाधिकारी एवं श्री अजय शर्मा कनिष्ठ सहायक संविदा कमी आरएमआरएस, एसएमएस, जयपुर द्वारा लेना तय होने पर दिनांक 20-5-2022 को परिवादी डॉ. भरत राजपुरोहित से 1.5 प्रतिशत कमीशन के रूप में रिश्वती राशि 7,80,000/- रूपये श्री बृजभुषण शर्मा वित्तीय सलाहकर द्वारा प्राप्त कर अपने ड्राईग रूम मे रखे सोफे पर रखना तथा श्री अजय शर्मा द्वारा रिश्वती राशि 7,80,000/- रूपये स्वयं एवं डॉ. अधोक्षज जोशी, प्रकाश शर्मा के लिए अपने निवास पर मंगवाना पाया गया है जिससे इनका उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 व 120बी भा0दं0सं0 का पाया जाने पर आरोपीगण श्री बृजभूषण शर्मा हाल वित्तीय सलाहकार (एफए), सवाईमान सिंह अस्पताल, जयपुर, डॉ. अधोक्षज जोशी तत्कालीन आरएमआरएस मे एम.ओ.आई.सी. हाल सह-आचार्य निश्चेतन विभाग, एसएमएस अस्पताल, जयपुर मो0नं0 9414373226, श्री प्रकाश शर्मा हाल सहायक लेखाधिकारी, आरएमआरएस, एसएमएस, जयपुर मो0नं0 8696944700 एवं श्री अजय शर्मा हाल कनिष्ठ सहायक संबिदाकर्मी एसएमएस अस्पताल जयपुर को पृथक-पृथक जरिये फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अतः आरोपीगण (1) श्री बृजभूषण शर्मा पुत्र श्री हरिशंकर शर्मा, जाति ब्राहमण, उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम महुवा खेड़ी, पुलिस थाना कंचनपुर, जिला धोलपुर हाल म0नं0 82, शिवम नगर, नियर एसकेआईटी कॉलेज, रामनगरिया, जयपुर हाल वित्तीय सलाहकार (एफए), सवाईमान सिंह अस्पताल, जयपुर, (2) श्री अधोक्षज जोशी पुत्र श्री पुरंजय शर्मा, जाति ब्राहमण, उम्र 49 वर्ष निवासी ए-18, लक्ष्मीनारायणपुरी, सुरजपोल हाल सह-आचार्य निश्चेतन विभाग, एसएमएस अस्पताल, जयपुर।

(3) श्री प्रकाश शर्मा पुत्र श्री महावीर प्रसाद शर्मा, जाति ब्राहमण, उम्र 54 वर्ष निवासी वार्ड नं0 12, बस स्टेण्ड के पास श्रीमाधोपुर, जिला सीकर हाल फ्लेट नं0 205, बालाजी टॉवर-7, जगतपुरा जयपुर हाल सहायक लेखाधिकारी, आरएमआरएस, एसएमएस, जयपुर (4) श्री अजय शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा जाति बाह्राण उम्र 52 साल निवासी मकान 528 राममंदिर के सामने महावीर नगर टोक रोड जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक संबिदाकर्मी एसएमएस अस्पताल जयपुर के विरूद्व अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व 120बी भा0दं0सं0 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(मानवेन्द्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर ग्रामीण,जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मानवेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण (1) श्री बृजभूषण शर्मा, वित्तीय सलाहकार (एफए), सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर, (2) श्री अधोक्षज जोशी, सह-आचार्य निश्चेतन विभाग, एसएमएस अस्पताल, जयपुर, (3) श्री प्रकाश शर्मा, सहायक लेखाधिकारी, आरएमआरएस, एसएमएस, जयपुर (4) श्री अजय शर्मा, कनिष्ठ सहायक संविदाकर्मी एसएमएस अस्पताल जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 200/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना की प्रतियाँ रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

21.5.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 1769-77 दिनांक 21.5.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर, कं.स.-1, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
6. अध्यक्ष,राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायईटी, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
7. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
9. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर।

21.5.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।